राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 29-7-25
70/2024	21.02.2024	

उनवानः

1. अतरसिंह दत्तक पुत्र जयसिंह जाति अहीर निवी प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

वनाम

1. बिल्लू दत्तक पुत्र श्री अमीलाल
2. शेरसिंह पुत्र श्री लीलाराम जातियान अहीर निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. श्रीमान् लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
5. शाखा प्रबन्धक पंजाव एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराना
6. शाखा प्रबन्धक पंजाव नेशनल बैंक शाखा नीमराना
7. शाखा प्रबन्धक बैंक आफॅ बडौदा शाखा नीमराना

.......प्रतिवादीगण

दावा बावत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री जितेन्द्र सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 742 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना मे स्थित है। उक्त खसरा नम्बर के मिन वादी 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी बिना बटी हुई सहखातेदारी की आराजी है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 आपस मे साज बाज होकर आराजी मुतनाजा के अच्छा से अच्छा भाग जो रोड से लगता हुआ है, पर जबरन कब्जा कर उसे दिगर जगह मुन्तकिल करने पर उतारू हो रहे है। इसलिए आराजी मुतनाजा मे मिन वादी अपने हिस्से का अलग से तकासमा करवाकर अलग खातेदारी बन्दी करवाने का अधिकारी है ऐसी सूरत मे कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी मे मिन वादी के 1/3 हिस्से का अलग से तकासमा किया जाकर उसका खातेदार मिन वादी को घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पावन्द किये जाने की प्रार्थना की गई।

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया कि आराजी मुतनाजा का मौके पर बाहमी बंटवारा किया हुआ है। मौके पर बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज रहकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा का विभाजन करवाने की कोई आवश्यकता नही है। हर खातेदार को आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से का बेचान करने एवं मौके पर कब्जा के अनुसार कब्जा देने का पूरा हक व अधिकार हांसिल है। इसलिए वादी के वाद पत्र को मय खर्चा खारिज किा जाने की प्रार्थना की गई।

वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि दावा तकसीम आराजी का है। इसलिए दावा को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर, कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाना न्याय

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

संगत है। हमने वकील वादी के निवेदन पर विचार विमर्श किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दावा मे वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 742 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 की सहखातेदारी की आराजी है जिसका विभाजन बिना कुर्रे रिपोर्ट के किया जाना सम्भव नही होने के कारण न्याय हित मे वादी के वाद पत्र को दिनांक 10.06.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेशित किया गया कि उभय पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्ता संबंधि राजस्व भाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय मे भिजवाई जावे।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.06.2025 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 742 रकवा 0.16 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 18.07.2025 को पेश की गई। वकील वादी उपस्थित, तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से ड़िक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 18.07.2205 के मुताबिक खसरा नम्बर 742 रकवा 0.16 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–वहरोड की बावत निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अतरसिंह दत्तक पुत्र जयसिंह हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पंजाव एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराना	742/1	0.0533
		कुल किता–1 रकबा 0.0533 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	शेरसिंह पुत्र लीलाराम हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.वी. शाखा नीमराना	742/2	0.0534
		कुल किता–1 रकबा 0.0534 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	विल्लू दत्तक पुत्र अमीलाल हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन केनरा बैंक शाखा नीमराना	742/3	0.0533
		कुल किता–1 रकबा 0.0533 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्वा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 29-7-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 29-7-25
70 / 2024	21.02.2024	

उनवानः

1. अतरसिंह दत्तक पुत्र जयसिंह जाति अहीर निवाी प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. बिल्लू दत्तक पुत्र श्री अमीलाल
2. शेरसिंह पुत्र श्री लीलाराम जातियान अहीर निवासी ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. श्रीमान् लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराना
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नीमराना
7. शाखा प्रबन्धक बैंक आफॅ बडौदा शाखा नीमराना

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री जितेन्द्र सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

। आदेश ।।

अतः वाद वादी,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 18.07.2205 के मुताबिक खसरा नम्बर 742 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम प्रतापसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की बाबत निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि :–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	अतरसिंह दत्तक पुत्र जयसिंह हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराना	742/1	0.0533
		कुल किता–1 रकबा 0.0533 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	शेरसिंह पुत्र लीलाराम हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा नीमराना	742/2	0.0534
		कुल किता–1 रकबा 0.0534 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	बिल्लू दत्तक पुत्र अमीलाल हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार राहिन केनरा बैंक शाखा नीमराना	742/3	0.0533
		कुल किता–1 रकबा 0.0533 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-7-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)